



Neutral Citation No.- 2026:AHC:59482

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 बीएनएसएस के तहत आवेदन संख्या - 5300, वर्ष 2026

निश्चल गुप्ता उर्फ देवू

आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	मिथिलेश कुमार शुक्ला
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	:	राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 80

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं।
2. इससे पहले 09.02.2026 को, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को पूरक शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया था जिससे आरोपी-आवेदक और पीड़िता के बीच विवाह और समझौते के प्रमाण पत्र को अभिलेख पर लाया जाए, जिन्हें पति-पत्नी होना बताया गया था।
3. दिनांक 09.02.2026 के पूर्व आदेश के अनुसरण में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज पूरक शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसे अभिलेख में ले लिया गया है।
4. बीएनएसएस की धारा 528 के तहत यह आवेदन विशेष सत्र परीक्षण संख्या 552 वर्ष 2025 (राज्य बनाम निश्चल गुप्ता उर्फ देवू) की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जो कि मुकदमा अपराध संख्या 81 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 69, 89, 351(3), 352 बीएनएसएस और धारा 5(एल)/6 पॉक्सो अधिनियम, पुलिस स्टेशन गोविंद नगर, जिला कानपुर नगर से संबंधित है, साथ ही दिनांक 30.03.2025 के आरोपपत्र और दिनांक 22.04.2025 के संज्ञान आदेश को भी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रद्द करने के लिए, जो कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), न्यायालय संख्या 25, कानपुर नगर के न्यायालय में लंबित है।

5. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2/प्रथम शिकायतकर्ता द्वारा आवेदक और उसके भाई के विरुद्ध दिनांक 01.01.2021 और 13.02.2025 के बीच कथित घटना के संबंध में 09.03.2025 को 10:13 बजे एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर, पुलिस स्टेशन गोविंद नगर, जिला कानपुर नगर में, मुकदमा अपराध संख्या 81 वर्ष 2025 के रूप में, बीएनएस की धारा 69, 123, 89, 352, 115(2), 351(3), 61(2) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है, जिसमें शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आरोप लगाया है कि वह 01.01.2021 को एक पारिवारिक समारोह में आवेदक के संपर्क में आई थी। शिकायतकर्ता/पीड़िता उस समय नाबालिग थी। दिसंबर 2021 और 06.12.2024 के बीच आवेदक द्वारा विवाह का झूठा वादा करके उसके साथ बलात्कार किया गया। शिकायतकर्ता को 02.01.2025 को पता चला कि वह गर्भवती हो गई है, हालांकि, आवेदक और उसके भाई की मदद से गर्भपात करा लिया गया। 13.02.2025 को आवेदक और उसका भाई शिकायतकर्ता के घर पहुंचे और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

6. जांच अधिकारी ने जांच शुरू की और पीड़िता की चिकित्सा जांच कराई गई, हालांकि चिकित्सा जांच में कोई चोट नहीं पाई गई। पीड़िता का बयान बीएनएसएस की धारा 180 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने एफआईआर में पहले से दर्ज अपने बयान को दोहराया। उसने दावा किया कि घटना के समय वह नाबालिग थी। पीड़िता ने विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष भी ऐसा ही बयान दिया, हालांकि उसने दावा किया कि उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। जांच अधिकारी ने अन्य गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद 30.03.2025 को इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया। संबंधित न्यायालय ने 22.04.2025 के आदेश द्वारा अपराध का संज्ञान लिया।

7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक का दावा है कि उसका और पीड़िता का विवाह हो चुका था, इसलिए उसने 04.09.2025 को विचारण न्यायालय में उन्मोचन आवेदन दायर किया। शिकायतकर्ता/पीड़िता ने भी 03.11.2025 को आपत्ति दर्ज कराई, जिसमें उसने दावा किया कि कथित घटना के समय वह बालिग थी और आगे कहा कि आवेदक और पीड़िता लंबे समय से प्रेम में थे और पीड़िता की सहमति से उनके बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुए थे। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक और पीड़िता का विवाह 25.08.2025 को संपन्न हुआ था। विचारण न्यायालय ने आवेदक को उन्मोचित नहीं किया और बीएनएसएस की धारा 250

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के तहत दायर उसका उन्मोचन आवेदन विचारण न्यायालय ने 13.01.2026 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया, इसलिए आवेदक ने विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए यह आवेदन दायर किया है।

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि पूरक शपथपत्र में विवाह प्रमाण पत्र और विवाह की तस्वीरें संलग्न की गई हैं और दावा किया गया है कि आवेदक और पीड़िता का विवाह 25.08.2025 को संपन्न हुआ था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है और दिनांक 11.02.2026 का समझौता पत्र पूरक शपथपत्र के साथ संलग्न किया गया है, जिस पर दोनों पक्षों के विधिवत हस्ताक्षर हैं।

9. प्रत्यर्थी संख्या 2/शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने भी प्रति-शपथपत्र दाखिल किया है जिसमें विवाह की वास्तविकता के साथ-साथ दिनांक 11.02.2026 के समझौते के दस्तावेज को स्वीकार किया गया है और यह कहा गया है कि आवेदक द्वारा बीएनएसएस की धारा 528 के तहत दायर वर्तमान आवेदन को पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर स्वीकार किया जाए।

10. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन पक्षों के बीच विवाह और समझौते के उपरोक्त तथ्य पर विवाद नहीं कर सके।

11. मैंने दोनों पक्षों विरोधी की दलीलें सुनी हैं और अभिलेख का अवलोकन किया है।

12. निःसंदेह, आवेदक और पीड़िता का विवाह 25.08.2025 को संपन्न हुआ था और पीड़िता ने 3.11.2025 को विचारण न्यायालय में दायर अपनी आपत्ति और अपने प्रति-शपथपत्र में भी इस बात का खंडन नहीं किया है। विवाहित दंपति लंबे समय से एक ही छत के नीचे रह रहे हैं और दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझ गया है। प्रथम शिकायतकर्ता/पीड़िता और उसके परिवार के सदस्य वर्तमान आवेदक के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही वापस लेने के लिए तैयार हैं।

13. **के. धंदापानी बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक द्वारा, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1056 और माफत लाल और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 433** के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर अभियुक्तों के आपराधिक अभियोजन को रद्द कर दिया था कि अभियुक्तों ने अभियोक्त्री से विवाह कर लिया था और न्यायालय इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकता। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उपर्युक्त निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूर्णतः लागू होते हैं। अतः, सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निर्णयों के संदर्भ में वर्तमान आवेदक के मामले में कोई अपवाद नहीं बनता है, क्योंकि आवेदक ने भी पीड़िता से विवाह कर लिया है और दोनों पक्ष सुखपूर्वक साथ रह रहे हैं। उपरोक्त संदर्भ में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन कानून और तथ्यों दोनों ही दृष्टियों से उचित नहीं है और इसलिए, इसे इस न्यायालय द्वारा रद्द किया जाना चाहिए।

14. **के. धंदापानी (उपरोक्त) और माफत लाल (उपरोक्त)** के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अभियुक्तों ने अभियोक्त्री से विवाह किया था और दूसरा, न्यायालय इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकता। चूंकि **के. धंदापानी (उपरोक्त)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय संक्षिप्त है, इसलिए इसे पूर्ण रूप से यहाँ प्रस्तुत किया गया है।

"छूट प्रदान की गई।"

अपीलकर्ता अभियोक्त्री का मामा है जो वलायर समुदाय से संबंध रखता है। यह तमिलनाडु राज्य का एक अत्यंत पिछड़ा समुदाय है। वह एक निजी कारखाने में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता है। उसके विरुद्ध बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (पाँक्सो) 2012 की धारा 5(जे)(ii) के साथ पठनीय धारा 6, 5(एल) के साथ पठनीय धारा 6 और 5(एन) के साथ पठनीय धारा 6 के तहत बलात्कार के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। 31.10.2018 को तिरुप्पुर स्थित फास्ट ट्रैक महिला न्यायालय के सत्र न्यायाधीश द्वारा उन्हें उक्त अपराधों के लिए विचारण के बाद दोषी ठहराया गया और 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय ने 13.02.2019 के एक आदेश द्वारा दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने यह अपील दायर की है।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एम.पी. पार्थिवन ने प्रस्तुत किया कि, उनके विरुद्ध आरोप है कि उन्होंने अभियोक्त्री से विवाह का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए।

उसने बताया कि वास्तव में उसने पीड़िता से शादी कर ली है और उनके दो बच्चे हैं।

अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 के

अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और पूर्ण न्याय करना चाहिए और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह न्याय के हित में नहीं हो सकता कि अपीलकर्ता और अभियोक्त्री के पारिवारिक जीवन को अशांत किया जाय।

8 मार्च, 2022 को कुछ समय तक मामले की सुनवाई के बाद, हमने जिला न्यायाधीश को अभियोक्त्री की वर्तमान स्थिति संबंधी बयान दर्ज करने का निर्देश दिया। अभियोक्त्री का बयान अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके दो बच्चे हैं जिनकी देखभाल अपीलकर्ता कर रहा है और वह सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही है।

राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता डॉ. जोसेफ एरिस्टोटल एस. ने अपीलकर्ता को किसी भी प्रकार की राहत देने का विरोध करते हुए कहा कि अपराध के समय पीड़िता की आयु 14 वर्ष थी और उसने अपने पहले बच्चे को 15 वर्ष की आयु में तथा दूसरे बच्चे को 17 वर्ष की आयु में जन्म दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता और पीड़िता का विवाह वैध नहीं है। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि यह विवाह केवल सजा से बचने के उद्देश्य से किया गया हो सकता है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि न्यायालय द्वारा राहत दिए जाने के बाद अपीलकर्ता पीड़िता और बच्चों की देखभाल करेगा।

इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा यह मत है कि अभियोक्त्री के मामा अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को बाद में सामने आई घटनाओं के दृष्टिगत रद्द किया जाना चाहिए। न्यायालय जमीनी हकीकत से आंखें मूंदकर अपीलकर्ता और अभियोक्ता के सुखी पारिवारिक जीवन में बाधा नहीं डाल सकता। हमें तमिलनाडु में लड़की का विवाह उसके मामा से करने की प्रथा के बारे में जानकारी दी गई है।

उपर्युक्त उल्लिखित कारणों से, मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को रद्द किया जाता है और इसे नजीर के तौर पर नहीं माना जाएगा। अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है। लंबित आवेदन (यदि कोई हो) का भी निपटारा हो जाएगा।

यदि अपीलकर्ता अभियोक्त्री की उचित देखभाल नहीं करता है, तो वह या अभियोक्ता की ओर से राज्य इस आदेश में संशोधन के लिए इस न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. श्रीराम उराव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य आपराधिक अपील संख्या (एस). 41/2021 के मामले में भी दिनांक 10.01.2025 को दिए गए निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि अपीलकर्ता/आरोपी और शिकायतकर्ता/पीड़ित ने एक दूसरे से शादी कर ली थी।

16. इसी प्रकार, दासारी श्रीकांत बनाम तेलंगाना राज्य, (2024) एससीसी ऑनलाइन एससी 936 में प्रकाशित के मामले में, समान परिस्थितियों और लगभग समान प्रावधानों के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया था। दासारी श्रीकांत (उपरोक्त) के प्रासंगिक पैराग्राफ 8 से 10 इस प्रकार हैं:-

“8. चूंकि अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता ने आपस में शादी कर ली है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले की पुष्टि का आरोपी अपीलकर्ता को जेल भेजे जाने पर विनाशकारी परिणाम होगा, जिससे शिकायतकर्ता के साथ उसका वैवाहिक संबंध खतरे में पड़ सकता है।

9. परिणामस्वरूप, हम विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज और उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित आरोपी अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को रद्द करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के इच्छुक हैं।

10. परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27 जून, 2023 को पारित किया गया आक्षेपित निर्णय और विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 9 अप्रैल, 2021 को पारित किया गया निर्णय रद्द और निरस्त किया जाता है।”

17. महेश मुकुंद पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के एक अन्य निर्णय में, जो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 614 में प्रकाशित किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354ए, 363, 366, 376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराध की कार्यवाही को आरोपी और पीड़िता के बीच विवाह के आधार पर रद्द कर दिया। यह अभिलेख पर लाया गया कि आरोपी और पीड़िता के विवाह से दो बच्चे पैदा हुए, जिनके दस्तावेज अपील के साथ प्रस्तुत किए गए। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अभियोजन जारी रखने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इससे अपीलकर्ता/आरोपी और पीड़िता और उनके बच्चों को अनावश्यक उत्पीड़न होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18. सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य निर्णयों यथा **मधुकर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य**, जो एसएलपी (आपराधिक) संख्या 7212 वर्ष 2025 से संबंधित है, और साथ ही **प्रभाकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य**, जो एसएलपी (आपराधिक) संख्या 7495 वर्ष 2025 से संबंधित है, दिनांक 20.11.2023 को मुकदमा अपराध संख्या 302 वर्ष 2023, अंतर्गत धारा 324, 141, 143, 147, 149, 452, 323, 504 और 506, भारतीय दंड संहिता, 1860 की कार्यवाही को रद्द कर दिया, साथ ही दिनांक 21.11.2023 को मुकदमा अपराध संख्या 304 वर्ष 2023, अंतर्गत धारा 376, 354-ए, 354-डी, 509 और 506 भारतीय दंड संहिता की कार्यवाही को भी पक्षों के बीच समझौता के आधार पर रद्द कर दिया। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 6, 7 और 8 को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“6. प्रारंभ में, हम यह स्वीकार करते हैं कि आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध निस्संदेह गंभीर और जघन्य प्रकृति का है। सामान्यतः, पक्षों के बीच समझौते के आधार पर ऐसे अपराधों से संबंधित कार्यवाही को रद्द करना हतोत्साहित किया जाता है और इसे आसानी से अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत न्यायालय की शक्ति किसी कठोर सूत्र से बंधी नहीं है और प्रत्येक मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।

7. वर्तमान मामले में, हम एक असामान्य स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ धारा 376 आईपीसी सहित गंभीर आरोपों वाली एफआईआर, विरोधी पक्ष द्वारा दर्ज की गई पिछली एफआईआर के तुरंत बाद दर्ज की गई थी। घटनाओं का यह क्रम आरोपों को एक निश्चित संदर्भ प्रदान करता है और यह बताता है कि दूसरी एफआईआर प्रतिक्रियात्मक कदम हो सकती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी एफआईआर में शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने मामले को आगे न बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि अब उनका विवाह हो चुका है और उनका निजी जीवन स्थिर है, और आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से उनकी शांति और स्थिरता भंग ही होगी। उनका रुख न तो अनिश्चित है और न ही अस्पष्ट; उन्होंने लगातार, अभिलेख में दर्ज शपथपत्र सहित, यह स्पष्ट किया है कि वह अभियोजन का समर्थन नहीं करतीं और मामले को समाप्त करना चाहती हैं। दोनों

पक्षों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने मतभेदों को सुलझा लिया है और आपसी सहमति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर पहुँच गए हैं। इन परिस्थितियों में मुकदमे को जारी रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इससे केवल सभी संबंधित पक्षों, विशेषकर शिकायतकर्ता, की पीड़ा ही बढ़ेगी और न्यायालयों पर बोझ बढ़ेगा, जबकि किसी भी प्रकार के सकारात्मक परिणाम की संभावना नहीं है।

8. अतः, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, और शिकायतकर्ता द्वारा लिए गए स्पष्ट रुख और समझौते की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखना किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं होगा और ऐसा करना प्रक्रिया का दुरुपयोग ही होगा।"

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांत और मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह आवेदन सफल होता है और स्वीकार किए जाने योग्य है। इसे तदनुसार स्वीकार किया जाता है।

20. विशेष सत्र परीक्षण संख्या 552 वर्ष 2025 (राज्य बनाम निश्चल गुप्ता उर्फ देवू) की संपूर्ण कार्यवाही, जो मुकदमा अपराध संख्या 81 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 69, 89, 351(3), 352 बीएनएस तथा धारा 5(एल)/6 पाँक्सो अधिनियम, पुलिस स्टेशन गोविंद नगर, जिला कानपुर नगर से संबंधित है, साथ ही दिनांक 30.03.2025 का आरोपपत्र, दिनांक 22.04.2025 का संज्ञान आदेश और दिनांक 13.01.2026 का आदेश, जो उक्त मामले में पारित किए गए हैं, और आवेदक के विरुद्ध न्यायालय संख्या 25, कानपुर नगर के विशेष न्यायाधीश (पाँक्सो अधिनियम) की न्यायालय में लंबित हैं, को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

21. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

23 मार्च, 2026

एपी पांडे